हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 24 सितम्बर, 2010

संख्या, 2/6/96 आर–II.– हरियाणा अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24), की धारा 38, 39, 41 तथा धारा 257 की उप–धारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 78/ह0 अ0 24/1973/धा0 38, 39, 41 तथा 257/2010 दिनांक 07.07.2010, के संदर्भ में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनात हैं: अर्थात् :–

नियम

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण। 1. (1) ये नियम हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्ते) नियम, 2010 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सेवाओं को लागू होंगे।

(3) ये नियम सभी नगरपालिकाओं को लागू होंगे।

परिभाषाएँ। 2. (1) इन नियमो में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,.

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, (1973 का 24);

(ख) ''प्रशासकीय सचिव'' से अभिप्राय है, वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग;

(ग) ''परिशिष्ट'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(घ) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ङ) ''उपायुक्त'' से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिला उपायुक्त;

(च) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा;

(छ) ''सीधी भर्ती'' से अभ्रिपाय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ज) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(झ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(i) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;या

(ii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था;

(ञ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; अथवा

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि–पत्र, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविधालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ट) ''धारा'' से अभिप्राय है, अधिनियम की कोई धारा;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, राज्य स्तर और जिला स्तर की नगरपरिषद/नगरपालिका सेवा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) में दिए गए हैं।

भाग– ।।

सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलाबी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा मे पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, आयोग/बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भती द्वारा तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हो, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति प्रशासकीय सचिव/निदेशक/उपायुक्त द्वारा की जायेगी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा मे किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये प्र्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है।

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढ़ंग से की जायेगी,–

राज्य स्तर के पद

(i) कार्यकारी अभियन्ता की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% नगरपालिका अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) कार्यकारी अधिकारी की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50%सचिव, नगरपरिषद में से पदोन्नति द्वारा;

(iii) सचिव, नगरपरिषद की दशा मे,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% सचिव, नगरपालिका समिति या कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद) या कर अधीक्षक (नगरपरिषद) में से पदोन्नति द्वारा;

(iv) सचिव, नगरपालिका समिति की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा;

(v) नगरपालिका अभियन्ता (सिविल) की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से पदोन्नति द्वारा;

(vi) सहायक नगर योजनाकार की दशा मे,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) किसी भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(vii) कनिष्ठ अभियन्ता ;सिविल) की दशा मे,–

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 20% भवन निरीक्षक, प्रारूपकार, भूमि अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा;

(viii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% विद्युत निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा;

(ix) कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्) की दशा में,–

(क) सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(x) कर अधीक्षक, नगरपरिषद की दशा में,–

(क) अधीक्षक नगरपालिका (समिति) या कर निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(xi) कर अधीक्षक, नगरपालिका (समिति) की दशा मे,–

(क) कर निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xii) लेखाकार की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;

(xiii) मुख्य सफाई निरीक्षक की दशा में,–

(क) सफाई निरीक्षक से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xiv) मुख्य प्रारूपकार की दशा मे,–

(क) प्रारूपकार से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

जिला स्तर के पद

(i) भवन निरीक्षक की दशा मे,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ii) भूमि अधिकारी की दशा मे,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(iii) प्रारूपकार की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(iv) सहायक की दशा में,–

(क) लिपिक/आशुलिपिक से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(v) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा मे,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50%कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक से पदोन्नति द्वारा;

(vi) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50%आशुलिपिक से पदोन्नति द्वारा;

(vii) चालक की दशा में,–

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 20%सेवादार, चौकीदार, माली–कम–चौकीदार तथा ट्रैक्टर चालक से पदोन्नति द्वारा;

(viii) उद्यान पर्यवेक्षक की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50%मुख्य माली से पदोन्नति द्वारा;

(ix) पुस्तकाध्यक्ष की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(x) विद्युत निरीक्षक की दशा मे,–

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 20%विद्युतकार से पदोन्नति द्वारा;

(xi) कर निरीक्षक की दशा में,–

(क) लिपिक से पदोन्नति द्वाराय या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xii) सफाई निरीक्षक की दशा में,–

(क) 80%सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 20% सफाई दरोगा से पदोन्नति द्वारा;

(xiii) आशुटंकक की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xiv) लिपिक की दशा में,–

(क) 80%सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 20% सेवादार/मुख्य माली/मालह–कम–चौकीदार/चौकीदारै में से पदोन्नति द्वारा;

(xv) विद्युतकार की दशा मे,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xvi) ट्रैक्टर चालक की दशा में,–

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 50% सफाई दरोगा/सफाई कर्मचारी से पदोन्नति द्वारा;

(xvii) पटवारी की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(xviii) सेवादार की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(xix) हैड माली की दशा मे,–

(क) माली–कम–चौकीदार से पदोन्नति द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(xx) माली कम चौकीदार की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(xxi) चौकीदार की दशा में,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, जब भी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली है, तो नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी।

परिवीक्षा

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तू कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्ति न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसको उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्ति किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्ति किया गया हो, तो उसकी स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है,तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवा–काल के अनुसार निश्चित की जायेंगी :

परन्तु जहॉ सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक वर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ऐसी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बडा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा;

(2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्याालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी मामलो के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे वो सक्षम अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाऍ।

अनुशासन, शास्तिया तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलो से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगेः

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप तो लगायी जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ठ 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवाएगा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सम्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहॉ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहॉ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में सेसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियॉ, पिछडे वर्गों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति।

20. हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्ते) नियम, 1982 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन पारित किये गये कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई को इन नियमों के अनुरूप, उपबन्धों के अधीन किये गए आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क
(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			अनुरूप वेतन बैंड	अनुरूप ग्रेड वेतन
		स्थाई	अस्थाई	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य स्तर के पद					
1.	कार्यकारी अभियन्ता	23	..	23	15600–39100	6000
2.	कार्यकारी अधिकारी	23	..	23	9300–34800	5400
3.	सचिव, नगरपरिषद	23	..	23	9300–34800	4000
4.	सचिव, नगरपालिका	51	..	51	9300–34800	3600
5.	नगरपालिका अभियन्ता	99	..	99	9300–34800	5400
6.	सहायक नगर योजनाकार	23	..	23	9300–34800	5400
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	145	..	145	9300–34800	3600
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	5	..	5	9300–34800	3600
9	कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद)	8	..	8	9300–34800	3600
10.	कर अधीक्षक (नगरपरिषद)	20	..	20	9300–34800	3600
11.	कर अधीक्षक नगरपालिका(समिति)	5	..	5	9300–34800	3200
12.	लेखाकार	76	..	76	9300–34800	3200
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक	20	..	20	9300–34800	3200
14.	मुख्य प्रारूपकार	5	..	5	9300–34800	3200
	जिला स्तर के पद					
1.	भवन निरीक्षक	67	..	67	9300–34800	3200
2.	भूमि अधिकारी	3	..	3	9300–34800	3200
3.	प्रारूपकार	6	..	6	9300–34800	3200
4.	सहायक	24	..	24	9300–34800	3200
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4	..	4	9300–34800	3200
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	2	..	2	5200–20200	2400
7.	चालक	19	..	19	5200–20200	2400
8.	उधान पर्यवेक्षक	5	..	5	5200–20200	2400
9.	पुस्ताध्यक्ष	15	..	15	5200–20200	2400
10.	विधुत निरीक्षक	16	..	16	5200–20200	2400
11.	कर निरीक्षक	21	..	21	5200–20200	2400
12.	सफाई निरीक्षक	67	..	67	5200–20200	2400
13.	आशुटंकण	14	..	14	5200–20200	1900
14.	लिपिक	519	..	519	5200–20200	1900
15.	विद्युतकार	9	..	9	5200–20200	1900
16.	टैक्टर चालक	93	..	93	5200–20200	1900
17.	पटवारी	9	..	9	5200–20200	1900
18.	सेवादार	390	..	390	4440–7440	1300
19.	मुख्यमाली	10	..	10	4440–7440	1300
20.	मुख्य चौकीदार	20	..	20	4440–7440	1300
21.	माली–कम–चौकीदार	391	..	391	4440–7440	1300

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम–7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
राज्य स्तर के पद			
1	कार्यकारी अभियन्ता	(i) अभियांत्रिकी (सिविलद्ध में डिग्री; (ii) उप–मण्डल अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वाराः** नगरपालिका अभियन्ता (सिविलद्ध के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;
2	कार्यकारी अधिकारी	(i) किसी विषय में स्नातकोतर या विधि में स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा, जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा । (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वाराः** सचिव, नगरपरिषद के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।
3	सचिव, नगरपरिषद	(i) स्नातकोतर या प्रथम श्रेणी स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधिपत्र हो; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वाराः** सचिव, नगर पालिका समिति या कार्यालय अधीक्षक, नगरपरिषद या कर अधीक्षक, नगरपरिषद के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
4	सचिव, नगरपालिका	(i) स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधिपत्र हो; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वाराः** कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या लेखाकार के रूप में तीन वर्ष तक अनुभव;
5	नगरपालिका अभियन्ता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वाराः** कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
6	सहायक नगर योजनाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा नगर आयोजना संस्थान (भारत) की सहयुक्त सदस्य होना चाहिए; या (ii) अभियान्त्रिकी संस्थान(भारत) द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग या वास्तुकला संस्थान से वास्तुकला	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वाराः** सहायक नगर योजनाकर के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

		में डिग्री; तथा अर्हक नगरयोजनाकार के अधीन कम–से–कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए; (iii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	
7	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी /संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा:** वर्क इन्सपैक्टर / भवन निरीक्षक / भूमि अधिकारी / प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
8	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा:** विद्युत निरीक्षक के रूप में पॉच वर्ष का अनुभव।
9	अधीक्षक (नगरपरिषद)	....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) सहायक या मुख्य लिपिक तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में दो वर्ष का सहायक के रूप में अनुभव होना अनिवार्य है; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (ii) अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर सात वर्ष का अनुभव।
10	कर अधीक्षक (नगरपरिषद)	....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) नगरपालिका समिति में कर अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या नगरपरिषद में कर निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (ii) अन्य किसी विभाग/बोर्ड/निगम में अधीक्षक के पद का एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर सात वर्ष का अनुभव।
11	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति)	....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) कर निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (ii) कर अधीक्षक के पद का एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव।
12	लेखाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कॉम या इसके समकक्ष (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा:** लिपिक जिसने नगरपालिका लेखाकारों हेतू विहित विभागीय परीक्षा पास की हो।

13	मुख्य सफाई निरीक्षक		....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) सफाई निरीक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (ii) मुख्य सफाई निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
14	मुख्य प्रारूपकार		.....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) प्रारूपकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (i) मुख्य प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

जिला स्तरीय पद

1.	भवन निरीक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** भवन निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
2.	भूमि अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** भूमि अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
3.	प्रारूपकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार का डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
4.	सहायक	.....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) लिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। आशुटंकक की दशा में लिपिक के पद पर दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए; **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (ii) सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी /संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा:** कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i)	80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;	**पदोन्नति द्वारा:** आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
7.	चालक	(i)	भारी व हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस;	**पदोन्नति द्वारा:** भारी व हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित सेवादार, चौकीदार, माली–कम–चौकीदार तथा ट्रैक्टर चालक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव।
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
8.	उद्यान पर्यवेक्षक	(i)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होर्टिक्लचर में डिप्लोमा	**पदोन्नति द्वारा:** मुख्य माली के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
9.	पुस्तकाध्यक्ष	(i)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा;	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** पुस्तकाध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
10.	विद्युत निरीक्षक	(i)	आई.टी.आई. से इलैक्टिशियन का डिप्लोमा	**पदोन्नति द्वारा:** विद्युतकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
		(ii)	मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा द्वारा आयोजित इलैक्ट्रिकल सुपरवाईजर की परीक्षा पास की गई हो।	
		(iii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी /संस्कृत का ज्ञान।	
11.	कर निरीक्षक		....	**पदोन्नति द्वारा:** (i) लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभवय **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (ii) कर निरीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
12.	सफाई निरीक्षक	(i)	सफाई निरीक्षक पाठयक्रम में डिप्लोमा;	**पदोन्नति द्वारा:** सफाई दरोगा के रूप में दस वर्ष का अनुभव ।
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
13.	आशुटंकक	(i)	64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:** आशुटंकक के पद पर दो वर्ष का अनुभव।

		मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
14.	लिपिक	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वाराः** सेवादार/मुख्य माली/ माली–कम–चौकीदार /चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
15.	विद्युतकार	(i) आई.टी.आई. से विद्युतकार का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युतकार का प्रमाण पत्र; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वाराः** विद्युतकार के पद पर दो वर्ष का अनुभव।
16.	ट्रैक्टर चालक	हल्का या भारी वाहन चालक लाईसैन्स सहित आठवीं।	**पदोन्नति द्वाराः** सफाई दरोगा के रूप में पांच वर्ष या सफाई कर्मचारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव; तथा हल्का या भारी वाहन चालक लाईसैन्स रख्ता हो;
17.	पटवारी	(i) पटवारी की परीक्षा पास की हो; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वाराः** पटवारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
18.	सेवादार	आठवीं पास हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वाराः** सेवादार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
19.	हैड माली	.....	**पदोन्नति द्वाराः** ;पद्ध माली के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो तथा आठवीं पास हो; **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** : ;पपद्ध हैड माली के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
20.	माली – कम – चौकीदार	(i) हिन्दी सहित आठवीं पास; तथा (ii) बागवानी के कार्य का एक वर्ष का अनुभव रखता हो।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** : माली–कम–चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
21.	चौकीदार	हिन्दी सहित आठवीं पास।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** : चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

(देखिये नियम 14)

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यकारी अभियन्ता	प्रशासकीय सचिव	**<u>छोटी शास्तियां</u>** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv)उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को याऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसकी पूर्ण या अधिकांश स्वामित्वया नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरणया विश्व विद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्विया रोकना	निदेशक	प्रशासकीय सचिव
2.	कार्यकारी अधिकारी				
3.	सचिव, नगरपरिषद				
4.	सचिव, नगरपालिका समिति				
5.	नगरपालिका अभियन्ता				
6.	सहायक नगर योजनाकार				
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)				
8.	कनिष्ठ अभियन्ता, (विद्युत)				
9.	कार्यालय अधीक्षक				
10.	कर अधीक्षक, (नगरपरिषद)	निदेशक			
11.	कर अधीक्षक, (नगरपालिका समिति)				
12.	लेखाकार				
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक				
14.	मुख्य प्रारूपकार				
1.	कार्यकारी अभियन्ता	प्रशासकीय सचिव	**<u>बड़ी शास्तियां</u>** (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्विया; रोकना, (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अतिरिक्त निर्देशों अवनति ऐसे सहित कि क्या पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदौन्नति के लिये साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्म्रचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा;	प्रशासकीय सचिव	सरकार
2.	कार्यकारी अधिकारी				
3.	सचिव नगरपरिषद				
4.	सचिव नगरपालिका समिति				
5.	नगरपालिका अभियन्ता				
6.	सहायक नगर योजनाकार				
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	निदेशक		निदेशक	प्रशासकीय सचिव
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)				
9.	कार्यालय अधीक्षक				
10.	कर अधीक्षक, (नगरपरिषद)				

	कर अधीक्षक, (नगरपालिका		(ix)अनिवार्य सेवा निवृति; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता हनी होगी; (xi)सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		
11.	समिति)				
12.	लेखाकार				
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक				
14.	मुख्य प्रारूपकार				

जिला स्तरीय सेवाएं

छोटी शास्तियां

1.	भवन निरीक्षक	उपायुक्त	(i) वैयक्तिक फाईल(आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदौन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कोऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं जिसकी पूर्ण या अधिकांश स्वामित्वया नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्विया रोकना;	प्रशासक / पालिका	उपायुक्त
2.	भूमि अधिकारी				
3.	प्रारूपकार				
4.	सहायक वरिष्ठ वेतनमान				
5.	आशुलिपिक कनिष्ठ वेतनमान				
6.	आशुलिपिक				
7.	चालक				
8.	उद्यान पर्यवेक्षक				
9.	पुस्काध्यक्ष				
10.	विधुत निरीक्षक				
11.	कर निरीक्षक				
12.	सफाई निरीक्षक				
13.	आशुटंकक				
14.	लिपिक				
15.	इलैक्ट्रिशियन				
16.	ट्रैक्टर चालक				
17.	पटवारी				
18.	सेवादार				
19.	हैड माली				
20.	माली–कम–चौकीदार				
21.	चौकीदार				

		बड़ी शास्तियां		
1.	भवन निरीक्षक	(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्विया रोकना;	उपायुक्त	निदेशक
2.	भूमि अधिकारी	(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारीऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्वियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्वियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ।		
3.	ड्राफ्टसमैन			
4.	सहायक			
5.	वरिष्ठ आशुलिपिक			
6.	कनिष्ठ आशुलिपिक			
7.	चालक			
8.	उद्यान पर्यवेक्षक			
9.	पुस्काध्यक्ष			
10.	विधुत निरीक्षक	(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय पर जिससे वह वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा अवनत किया गया था, पदौन्नति केलिये साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्म्रचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ।		
11.	कर निरीक्षक			
12.	सफाई निरीक्षक			
13.	आशुटंकक			
14.	लिपिक			
15.	विघुतकार			
16.	ट्रैक्टर चालक			
17.	पटवारी			
18.	सेवादार			
19.	हैड माली			
20.	माली–कम–चौकीदार	(ix) अनिवार्य सेवा निवृति;		
21.	चौकीदार	(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता हनी होगी;		
		(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

(देखिये नियम 14 (2))

क्रम संख्या	पद की पद संज्ञा राज्य स्तरीय पद	आदेशों का स्वरूप	आदेश जारी करने के लिए संशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	कार्यकारी अभियन्ता	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	प्रशासकीय सचिव	सरकार
2.	कार्यकारी अधिकारी			
3.	सचिव नगरपरिषद			
4.	सचिव नगरपालिका समिति			
5.	नगरपालिका अभियन्ता			
6.	सहायक नगर योजनाकार			
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)		निदेशक	प्रशासकीय सचिव
8.	कनिष्ठ अभियन्ता, (विद्युत)			
9.	कार्यालय अधीक्षक			
10.	कर अधीक्षक, नगरपरिषद			
11.	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति)			
12.	लेखाकार			
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक			
14.	मुख्य प्रारूपकार			

जिला स्तरीय सेवाएं

1.	भवन निरीक्षक	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	उपायुक्त	निदेशक
2.	भूमि अधिकारी			
3.	ड्राफ्टसमैन			
4.	सहायक			
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
7.	चालक			
8.	उद्यान पर्यवेक्षक			

9.	पुस्काध्यक्ष
10.	विद्युत निरीक्षक
11.	कर निरीक्षक
12.	सफाई निरीक्षक
13.	आशुटंकक
14.	लिपिक
15.	इलैक्ट्रिशियन
16.	ट्रैक्टर चालक
17.	पटवारी
18.	सेवादार
19.	हैड माली
20.	माली–कम–चौकीदार
21.	चौकीदार

राज कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर 2013

सख्या का0आ0 92/ह0अ0 24/1973/धा0 38. 39. 41. 257/2013–नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा नगरपालका अधिनियम 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम24) की धारा 38. 39. 41 तथा धारा 257 की उप–धारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं उक्त अधिनियम की धारा 257 की उप–धारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगर पालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम 2013 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगर पालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2010 (जिन्हें इसें इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायेगा अर्थात

''9क–(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगीः वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा । आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदो के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरूद्ध नियुक्त उम्मीदवार तक तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड(हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के

उप–नियम (4) में यथा उपबन्धित वहले पाठयक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बनध में विनिर्दिष्ट करे पाठयक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्पयूअर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस. ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अनरू एजेन्सी द्वासरा यजारी किया गयाय पास प्रमाण पत्र सेवा नियमों मं विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार यिका जायेगा।

(4) कम्पयूटर अपीशिएशन तथ ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठयक्रम में केवल वर्ड प्रोसैसिंग, इन्टरनैट बराउजिंग तथा ई–मेल मैनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्पयूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा(एस.ई.टी.सी) देने से छूट दी जाती हैः–

(i) एम.टैक/बी.टैक. (कम्पयूटर), एम.सी.ए, बी.सी.ए या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निक्स से कम्पयूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(एन.आई.ई.एल. आई.टी.)(पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्पयूटर साक्षरता प्रामाण पत्र;

(iii) एच.के.सी.एल` प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों(ए.एल.सीज) से सूना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाणा पत्र (एचएससीआईटी);

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखा है तथा वह सेवा ग्रहण करते सतय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पस कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रताा परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन उपरी अंगों का अंगच्छेदन परैलइसिस ऑफ रेडयल (रेडयल नॅंव पॉंलजि) दोनों में से कोई एक उपरी अंग। नॅंवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनरटिव डिसऑंडअँ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणत तथा आंखो की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा(v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की मागरू टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,– जिला स्तरीय पद शीर्ष के नीचेः–

1 क्रम संख्याा 5 तथा 6 के सामने विद्यमान मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

(i) 10+2
(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।

II क्रम संख्या 13 के सामने खाना 3 के नीचे मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

(i) 10+2
(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।

III क्रम संख्या 14 के सामने–

(i) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जायेगी ; अर्थातः–
(ii) 10+2
(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।

(ख) खाना 4 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थातः–

(i) 10+2
(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।
iii) सेवादार/मुख्य माली/माली–कम–चौकीदार/चौकीदार के रूप में 5वर्ष का अनुभव।

पी0 राघवेन्द्रा राव,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।